रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1987/ज्येष्ठ 11, 1909
No. 264] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1987/JYAISTHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाव)

नई दिल्ली, 28 मई, 1987

अधिसूचना

का. आ. 542(अ):—केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एक्सचेंज" कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के

साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में ही होगा, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को उक्त धारा 4 के अधीन 3 जून, 1987 से शुरू होने वाली और 2 जून, 1988 को समाप्त होने वाले एक वर्ष का अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबंध में, मान्यता प्रदान करती है ।

[एफ सं. 1(26) एस. ई./87]

पी. जी. मन्कड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

New Delhi, the 28th May, 1987

NOTIFICATION

S.O. 542(E).—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange under the said section 4 for a further period of one year commencing on the 3rd June, 1987 and ending with the 2nd June, 1988, in respect of contracts in securities.

[F. No. 1 (26) SE|87]

P. S. MANKAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987